तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	निगरानी/टी.ए./122/2005/बारां **इन्द्रकुमार बनाम सीताराम**	
	एकल–पीठ **श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री खडग सिंह अभिभाषक प्रार्थी (2) श्री मुकेश जैन अभिभाषक अप्रार्थी **निर्णय दिनांक : 12.11.18** यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत अतिरिक्त कलेक्टर बांरा के निर्णय दिनांक 2–12–04 के विरूद्व प्रस्तुत की गई हैं। 2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या1 ने जिला कलेक्टर बांरा को अधिनियम की धारा 183 बी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया अप्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित ग्राम मोठपुर तहसील अटरू की कुल 0–93हेक्टर आराजी का खातेदार है जिस पर प्रार्थी ने जबरन कब्जा कर रखा है जिसे बेदखल कब्जा दिलाया जावे। जिला कलेक्टर प्रकरण तहसीलदार अटरू को प्रेषित किया। तहसीलदार ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर अपने निर्णय दिनांक 11–8–03 से प्रार्थी को बेदखकर कब्जा अप्रार्थी को दिलाने के आदेश प्रदान किये। इससे व्यथित होकर प्रार्थी ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर बांरा के न्यायालय में अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 2–12–04 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की गई है। 3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई। 4– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा 20 वर्षो से भी अधिक समय से चला आ रहा है तथा उक्त आराजी छोटी पटटी के रूप में प्रार्थी के खेतों से लगी हुई है जिसे नियमन कराने का प्रार्थी हकदार है किन्तु विपक्षी ने गैर कानूनी रूप से उसका कब्जा न होतें हुये भी आवंटन करा ली लेकिन कब्जा आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। विपक्षी का प्रार्थना पत्र स्पष्टतया मियाद	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./122/2005/बारां</u>** **इन्द्रकुमार बनाम सीताराम**	
	बाहर था। उनका तर्क है कि विपक्षी ने जो अधिनियम की धारा 183 बी के तहत प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया था वह गैर कानूनी था। जिसे तहसीलदार को प्रेषित कर विधिक त्रुटि की है। तहसीलदार से प्रार्थी को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना ही वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने का आदेश प्रदान करने में विधिक त्रुटि की है। इसलिये दोनें अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किया जावे। 5– जबाब में अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस बताया कि विवादित आराजी पर उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। अनुसूचित जाति के सदस्य की आराजी पर प्रार्थी जो सवर्ण है उसके द्वारा अतिक्रमण किये जाने पर उसे अधिनियम की धारा 183 बी के तहत बेदखल करने का जो आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत है। इसलिये निगरानी खारिज की जावे। 6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 7– अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सम्बत 2057–60 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है तथा अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर प्रार्थी द्वारा कब्जा करना स्वयं प्रार्थी ने स्वीकार किया है। इसलिये अनुसूचित जन जाति के सदस्य की भूमि पर प्रार्थी जो कि सवर्ण है उसके द्वारा कब्जा करने पर तहसीलदार द्वारा अधिनियम की धारा 183 बी के तहत बेदखल करने का जो आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत है। जहां तक वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के खेतों से लगवां छोटी पट्टी के रूप में होने का प्रश्न है,उससे प्रार्थी को कोई लाभ नहीं मिलता है। क्योंकि प्रार्थी का यदि वादग्रस्त आराजी पर पुराना कब्जा है और उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि से लगवां है तो उसे तत्समय अप्रार्थी को किये गये आवंटन के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये थी अथवा सक्षम अधिकारी के समक्ष नियमन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहिये था। चूँकि अप्रार्थी को वादग्रस्त आराजी की खातेदारी प्राप्त हो चुकी है और प्रार्थी की स्थिति वादग्रस्त आराजी पर एक अतिक्रमी की है। इसलिये हम	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./122/2005/बारां</u>** **इन्द्रकुमार बनाम सीताराम**	
	दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णयों में किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं पाते हैं इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज योग्य है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवाँ)** **सदस्य**	